रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2116] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2017/श्रावण 9, 1939
No. 2116] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2017/SRAVANA 9, 1939

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(छात्रवृत्ति प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

का. आ. 2408(अ).—जबकि, सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धाराप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है;

और जबकि, भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना निशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना** (जिसे इसमें इसके पश्चात् योजना कहा गया है) संचालित कर रहा है;

और जबकि, उक्त योजना के अधीन लाभांवित होने वाले समूहों में अल्पसंख्यक छात्र शामिल हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है), जो अल्पसंख्यक समुदायों का अपेक्षाकृत अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग है और जिन्हें अभियांत्रिकी, चिकित्सा आदि जैसे व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं या समूह 'क' या 'ख' या 'ग' की नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है;

और जबकि, फायदाग्राहियों को संस्थानों या संगठनों या गैर–सरकारी संगठनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से किए जा रहे कोचिंग पाठ्यक्रम (जिसे इसके पश्चात्

प्रसुविधा कहा गया है) की अवधि के लिए वज़ीफे का भुगतान किया जाता है जिसमें भारत की संचित निधि से किया गया व्यय शामिल है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

(1) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के पात्र किसी व्यक्ति को उसके पास आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित है।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को एतद्द्वारा 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय के लिए इसकी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराना अपेक्षित है जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय अपनी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु किसी व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक योजना के अधीन प्रसुविधाएं ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर दी जाएंगी, अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, जैसा नीचे पैरा 2 के उप–पैरा (2) में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) किसी स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय के मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य या कुलपति द्वारा उस स्कूल या कालेज या विश्वविद्यालय की सरकारी मोहर के अधीन जारी किया गया ऐसे फायदाग्राही का फोटो सहित पहचान प्रमाण–पत्र; या (viii) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उनके शासकीय पत्र–शीर्ष पर जारी ऐसे फायदाग्राही का फोटो सहित पहचान का प्रमाण–पत्र; या (ix) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज;

परंतु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपनी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:—

(1) मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के जरिए फायदाग्राहियों को व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक बनाया जा सके और उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सके यदि उनका पहले से नामांकन नहीं हुआ है। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राही आस—पास जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन करवाने में सक्षम नहीं हैं तो कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के माध्यम से मंत्रालय सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राही अपना नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप—पैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए आधार नामांकन के लिए कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के अभिहित अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेब पोर्टल के जरिए अपने अनुरोध रजिस्टर करवा सकते हैं।

यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू—कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

[फा. सं. 2/39(17)/2016—एफसी]

नीवा सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS
(Scholarship Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the14th June, 2017

S.O. 2408(E). —Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Minority Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Central Sector Scheme of Free Coaching and Allied Scheme for the Minority students** (hereinafter referred to as the Scheme);

And whereas, the groups to be benefited under the said Scheme consist of minority students (hereinafter referred to as the beneficiaries), belonging to relatively disadvantaged section of the minority communities and they are given free coaching for the entrance examinations for the professional and technical courses such as engineering, medical, or for direct entry into Group 'A' or 'B' or 'C' jobs;

And whereas, the beneficiaries are paid stipend for duration of the coaching course undertaken by them (hereinafter referred to as the benefit) through various Institutions or Organisations or Non-Governmental

Organisations (hereinafter referred to as the Implementing Agencies), which involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: —

1. (1) An individual eligible to receive the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by Ministry itself becoming Unique Identification Authority of India Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar enrolment Identity slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter Identity Card; or (iii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal or Vice Chancellor of School or College or University under official seal of the School or College or University; or (viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on their official letter head; or (ix) Any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies, shall make all the required arrangements including the following, namely: —

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 2/39(17)/2016-FC]

NIVA SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

का. आ. 2409(अ).—जबकि, सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धाराप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है;

और जबकि, भारत सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना पढ़ो परदेश**—विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद (जिसे इसमें इसके पश्चात् योजना कहा गया है) संचालित कर रहा है;

और जबकि, उक्त योजना के अधीन लाभांवित होने वाले समूहों में अल्पसंख्यक छात्र शामिल हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है), जो अल्पसंख्यक समुदायों का अपेक्षाकृत अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग है और जो विदेश में उच्चतर अध्ययन (मास्टर्स, एम.फिल या पी.एचडी) कर रहा है;

और जबकि, फायदाग्रहियों को योजना के अधीन भारतीय बैंक संघ द्वारा यथा—अनुमोदित शैक्षिक ऋण योजना के अधीन लिए गए ऋण पर योजना के दिशा—निर्देशों के अनुसार ऋण—स्थगन की अवधि के लिए ब्याज इमदाद के रूप में केनरा बैंक (जिसे यहां कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी कहा गया है) के जरिए वित्तीय सहायता (जिसे इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) प्रदान की जाती है और जिस पर भारत की संचित निधि से किया गया व्यय शामिल है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के पात्र किसी व्यक्ति को उसके पास आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित है।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को एतद्द्वारा 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय के लिए इसकी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराना अपेक्षित है जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील

में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय अपनी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु किसी व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक योजना के अधीन प्रसुविधाएं ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर दी जाएंगी, अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, जैसा नीचे पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) किसी स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय के मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य या कुलपति द्वारा उस स्कूल या कालेज या विश्वविद्यालय की सरकारी मोहर के अधीन जारी किया गया ऐसे फायदाग्राही का फोटो पहचान–पत्र; या (viii) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय पत्र–शीर्ष पर जारी ऐसे फायदाग्राही का फोटो सहित पहचान का प्रमाण–पत्र; या (ix) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज;

परंतु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विशिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय स्वयं अपनी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:–

(1) मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के जरिए फायदाग्राहियों को व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक बनाया जा सके और उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सके यदि उनका पहले से नामांकन नहीं हुआ है। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राही आस–पास जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन करवाने में सक्षम नहीं हैं तो कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से मंत्रालय सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राही अपना नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप–पैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए आधार नामांकन के लिए कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के संबंधित अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेब पोर्टल के जरिए अपने अनुरोध रजिस्टर करवा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

[फा. सं. 2/39 (17)/2016—एफसी]

नीवा सिंह संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2017

S. O. 2409(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Minority Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Central Sector Scheme of Padho Pradesh** – A Scheme for Interest Subsidy of Education Loans for Overseas Studies for the Students belonging to the minority communities (hereinafter referred to as the Scheme);

And whereas, the groups to be benefited under the said Scheme consist of minority students (hereinafter referred to as the beneficiaries), belonging to relatively disadvantaged section of the minority communities and who are pursuing their higher studies namely, Masters, M.Phil or Ph.D abroad;

And whereas, the beneficiaries under the Scheme are provided financial assistance in the form of interest subsidy (hereinafter referred to as the benefit) on the loan taken under the Education Loan Scheme as approved by the Indian Banking Association, for the period of moratorium as per the Scheme guidelines) through Canara Bank (hereinafter referred to as the Implementing Agency) and which involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible to receive the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by itself becoming Unique Identification Authority of India Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar enrolment identity slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter identity Card; or (iii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) Certificate of identity having photo of such student issued by the Headmaster or Principal or Vice Chancellor of a School or College or University under official seal of the School or College or University; or (viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on their official letter head; or (ix) Any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry itself through its Implementing Agency shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry itself through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials s the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No. 2/39(17)/2016-FC]

NIVA SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

का. आ. 2410(अ).—जबकि, सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धाराप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है;

और जबकि, भारत सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक

परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नई उड़ान** (जिसे इसमें इसके पश्चात् योजना कहा गया है) संचालित कर रहा है;

और जबकि, उक्त योजना के अधीन लाभांवित होने वाले समूहों में अल्पसंख्यक छात्र शामिल हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) जो अल्पसंख्यक समुदायों का अपेक्षाकृत अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग हैं और जिन्होंने उक्त आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं;

और जबकि, फायदाग्राहियों को योजना के अधीन मुख्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए मंत्रालय द्वारा संचालित एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अधीन एक बार की वित्तीय सहायता (जिसे इसके बाद प्रसुविधा कहा गया है) प्रदान की जाती है जिसमें भारत की संचित निधि से किया गया व्यय शामिल है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) योजनाओं के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति को उसके पास आधार होने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित है।

(2) योजनाओं के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय द्वारा उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराना अपेक्षित है जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु किसी व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक योजना के अधीन प्रसुविधाएं ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर दी जाएंगी, अर्थात् :—

(क) (i) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, जैसा नीचे पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) राशन कार्ड; या

(vii) किसी स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय के मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य या कुलपति द्वारा उस स्कूल या कालेज या विश्वविद्यालय की सरकारी मोहर के अधीन जारी किया गया ऐसे फायदाग्राही का फोटो पहचान–पत्र; या (viii) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय पत्र–शीर्ष पर जारी ऐसे फायदाग्राही का फोटो सहित पहचान का प्रमाण–पत्र; या (ix) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज;

परंतु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:–

(1) फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के जरिए व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक बनाया जा सके और उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सके यदि उनका पहले से नामांकन नहीं हुआ है। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राही आस–पास जैसे कि ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन करवाने में सक्षम नहीं हैं तो मंत्रालय सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राही अपना नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप–पैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए आधार नामांकन के लिए मंत्रालय द्वारा विशिष्ट रूप से अभिहित संबंधित पदाधिकारी या इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेब पोर्टल के जरिए अपने अनुरोध रजिस्टर करवा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

[फा. सं. 2/39 (17)/2016–एफसी]

नीवा सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2017

S. O. 2410(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Minority Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Central Sector Scheme of *Nai Udaan*** (hereinafter referred to as the Scheme) to support

minority students in their preparation for the main examination who have cleared the preliminary examination conducted by the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission or State Public Service Commission;

And whereas, the groups to be benefited under the said Scheme consist of minority students (hereinafter referred to as the beneficiaries), belonging to relatively disadvantaged section of the minority communities and who have cleared preliminary examinations conducted by the said Commissions;

And whereas, the beneficiaries under the Scheme are provided one time financial support (hereinafter referred to as the benefits) for preparation of the main examinations under Direct Benefit Transfer mode through a dedicated web portal administered by the Ministry, that involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible to receive the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by itself becoming Unique Identification Authority of India Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(c) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar enrolment identity slip; or

(iii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(d) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter identity Card; or (iii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) Certificate of identity having photo of such student issued by the Headmaster or Principal or Vice Chancellor of a School or College or University under official seal of the School or College or University; or (viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on their official letter head; or (ix) Any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry shall provide

Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the Ministry or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No.2/39(17)/2016-FC]

Niva Singh, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

का. आ. 2411(अ).— जबकि, सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धाराप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है;

और जबकि, भारत सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति** (जिसे इसमें इसके पश्चात् योजना कहा गया है) संचालित कर रहा है;

और जबकि, उक्त योजना के अधीन लाभांवित होने वाले समूहों में अल्पसंख्यक छात्र शामिल हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) जो अल्पसंख्यक समुदायों का अपेक्षाकृत अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित एवं पूर्णकालिक एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रम कर रहा है;

और जबकि, फायदाग्राहियों को योजना के अधीन पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान अध्येतावृत्ति तथा अन्य सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से प्रदान की जाती है जिस पर भारत की संचित निधि से किया गया व्यय शामिल है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति को उसके पास आधार होने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित है।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे

व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय को इसकी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराना अपेक्षित है जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि आस–पास जैसे कि ब्लॉक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय इसकी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु किसी व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक योजना के अधीन प्रसुविधाएं ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर दी जाएंगी अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, जैसा नीचे पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) किसी स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय के मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य या कुलपति द्वारा उस स्कूल या कालेज या विश्वविद्यालय की सरकारी मोहर के अधीन जारी किया गया ऐसे फायदाग्राही का फोटो सहित पहचान प्रमाण–पत्र; या (viii) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उनके शासकीय पत्र–शीर्ष पर जारी ऐसे फायदाग्राही का फोटो सहित पहचान का प्रमाण–पत्र; या (ix) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज;

परंतु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपनी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:–

(1) मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के जरिए फायदाग्राहियों की व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक बनाया जा सके और उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सके यदि उनका पहले से नामांकन नहीं हुआ है। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राही आस–पास जैसे कि ब्लॉक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन करवाने में सक्षम नहीं हैं तो कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से मंत्रालय सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राही अपना नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप–पैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए आधार नामांकन के लिए मंत्रालय या कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के संबंधित पदाधिकारी या इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेब पोर्टल के जरिए अपने अनुरोध रजिस्टर करवा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू– कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

[फा. सं. 2/39 (17)/2016–एफसी]

नीवा सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2017

S. O. 2411(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Minority Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Central Sector Scheme of Maulana Azad National Fellowship for Minority Students** (hereinafter referred to as the Scheme);

And whereas, the groups to be benefited under the said Scheme consist of minority students (hereinafter referred to as the beneficiaries), belonging to relatively disadvantaged section of the minority communities and who are pursuing regular and full time M.Phil and Ph.D courses from a University or an Institution recognised by the University Grants Commission;

And whereas, the beneficiaries under the Scheme are given financial support in the form of fellowship and other assistance (hereinafter referred to as the benefits) for the duration of the course through University Grants Commission (hereinafter referred to as the Implementing Agency), which involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible to receive the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka

or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by itself becoming Unique Identification Authority of India Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(e) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar enrolment identity slip; or

(iv) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(f) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter Identity Card; or (iii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) Certificate of identity having photo of such student issued by the Headmaster or Principal or Vice Chancellor of School or College or University under official seal of the School or College or University; or (viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on their official letter head; or (ix) Any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agency shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability Aadhaar of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Ministry or its Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No.2/39(17)/2016-FC]

NIVA SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

का. आ. 2412(अ.)—जबकि, सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धाराप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है;

और जबकि, भारत सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना जियो पारसी** (जिसे इसमें इसके पश्चात् योजना कहा गया है) संचालित कर रहा है जिसका उद्देश्य भारत में पारसियों की आबादी में गिरावट को रोकना है।

और जबकि, उक्त योजना के अधीन लाभांवित होने वाले समूहों में पारसी समुदाय के कमजोर वर्गों के ऐसे पारसी दंपत्ति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) शामिल हैं जिन्हें गर्भधारण करने में कठिनाई है;

और जबकि, फायदाग्राहियों को योजना के अधीन परज़ोर फाउंडेशन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से उनके चिकित्सीय उपचार एवं फॉलोअप (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसमें भारत की संचित निधि से किया गया व्यय शामिल है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

1. (1) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के पात्र किसी व्यक्ति को उसके पास आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित है।

(2) योजनाओं के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को एतद्द्वारा 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय के लिए इसकी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराना अपेक्षित है जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय अपनी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा;

परंतु किसी व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक योजना के अधीन प्रसुविधाएं ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर दी जाएंगी, अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, जैसा नीचे पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) किसी स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय के मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य या कुलपति द्वारा उस स्कूल या कालेज या विश्वविद्यालय की सरकारी मोहर के अधीन जारी किया गया ऐसे फायदाग्राही का फोटो पहचान—पत्र; या (viii) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय पत्र—शीर्ष पर जारी ऐसे फायदाग्राही का फोटो सहित पहचान का प्रमाण—पत्र; या (ix) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज;

परंतु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपनी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:—

(1) मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के जरिए फायदाग्राहियों को व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक बनाया जा सके और उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सके यदि उनका पहले से नामांकन नहीं हुआ है। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि फायदाग्राही अपने आस—पास जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन करवाने में सक्षम नहीं हैं तो कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से मंत्रालय सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राही अपना नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप—पैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए आधार नामांकन के लिए कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के संबंधित अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेब पोर्टल के जरिए अपने अनुरोध रजिस्टर करवा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू—कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/39 (17)/2016—एफसी]

नीवा सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2017

S. O. 2412(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Minority Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Central Sector Scheme of Jiyo Parsi** that aims at containing population decline of Parsis in India (hereinafter referred to as the Scheme);

And whereas, the groups to be benefited under the said Scheme are the Parsi couples belonging to weaker section of the community (hereinafter referred to as the beneficiaries) who are having difficulties in conceiving;

And whereas, the beneficiaries under the Scheme are provided financial assistance for their medical treatment and follow-up treatment (hereinafter referred to as the benefits) through the Parzor Foundation (hereinafter referred to as the Implementing Agency), which involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible to receive the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th June 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by itself becoming Unique Identification Authority of India Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar enrolment identity slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter Identity Card; or (iii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) Certificate of identity having photo of such student issued by the Headmaster or Principal or Vice Chancellor of School or College or University under official seal of the School or College or University; or (viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on their official letter head; or (ix) Any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agency shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No. 2/39(17)/2016-FC]

NIVA SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.09 12:34:06 +05'30'